

सेवा में,

विषय: आरटीआई आवेदन संख्या डीओएफएसआर/आर/टी/25/02133 दिनांक 19/09/2025 - पत्र संख्या 20/22/2025 आईएफ.। दिनांक 15/10/2025 जिसके द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आरटीआई आवेदन स्थानांतरित किया गया - आईएफसीआई लिमिटेड की ओर से उत्तर।

महोदय/ Sir,

कृपया आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से हस्तांतरण के तहत आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा प्राप्त विषय आरटीआई आवेदनों का संदर्भ लें। Please refer to the subject RTI Applications received by IFCI Ltd. under transfer from Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI as per the provisions of RTI Act, 2005.

2. इस संबंध में, आपके आरटीआई आवेदन का प्रश्नवार उत्तर निम्नानुसार है। In this regard, the query wise response to your RTI Application is as under:

1. आवेदन के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में, चूंकि विषयगत प्रश्न आईएफसीआई लिमिटेड से संबंधित नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। In response to query no.1 of the application, since the subject query does not pertain to IFCI Ltd., no response is warranted as such in this regard.
2. आवेदन के प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में, कृपया ध्यान दें कि 2004 से 2025 तक स्वीकृत, वितरित, बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि आदि का विवरण आईएफसीआई लिमिटेड की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है (कृपया आरटीआई आवेदन संख्या 1428 का उत्तर देखें)। विवरण नीचे भी पुनः प्रस्तुत हैं: (In response to query no.2 of the application, please note that the details of the loan amount sanctioned, disbursed, written off etc. from 2004 to 2025 is already available on the website of IFCI Limited (please refer to reply to RTI Application no.1428). The details are also reproduced herein below:

Amount sanctioned: Rs.46,281 crore

Amount disbursed: Rs.46,180 crore

Amount repaid: Rs.38,812 crore (excluding the interest earned)

Amount written off: Rs.4,476 crore

Amount Outstanding (as on date): Rs.2,892 crore

जहाँ तक कंपनियों/उधारकर्ताओं के नामों का खुलासा करने का प्रश्न है, उक्त जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) सहपठित धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत संरक्षित है। यह आईएफसीआई

लिमिटेड का वाणिज्यिक डेटा है, जिसके खुलासे से उक्त कंपनियों की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण होगा। अतः, प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जा रहा है। As far as disclosing the names of the companies/Borrowers are concerned, the said information is protected by virtue of Sec 8(1)(d) read with Sec 8(1)(j) of the RTI Act, 2005 being the commercial data of IFCI Ltd., the disclosure of which would cause unwanted invasion on the privacy of the said companies. Hence, the query is replied, accordingly.

3. आवेदन के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में, कृपया ध्यान दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को आवेदक के प्रश्नों की व्याख्या करने, शोध कार्य करने, अपनी राय देने या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने आदि का कार्य नहीं करना है। इसके अतिरिक्त, कृपया यह भी ध्यान दें कि अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण और औचित्य आदि माँगना भी अनुमत नहीं है। प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। In response to query no. 3 of the application, please note that CPIO is not supposed to interpret the queries of the applicant or do research work or give his opinion or respond to hypothetical queries etc. under the ambit of the RTI Act. Further please also note that seeking clarifications & justifications etc. are also not permissible under the act. The query is replied, accordingly.

3. आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत 30 दिनों के भीतर पहली अपील करने के उद्देश्य से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का विवरण निम्नानुसार है: The details of First Appellate Authority (FAA) for the purpose of preferring first appeal under the provisions of the RTI Act, 2005 within 30 days are as under:

श्री विजय कुमार गोयल, एफएए एवं निदेशक – विधि, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली (Mr. Vijay Kumar Goyal, FAA & Director – Legal, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi)

(वरिंदर मलिक)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईएफसीआई लिमिटेड